आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

सेवा अपील वाद संख्या–92/2024

शकील अहमद

बनाम्

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं अन्य

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व :–

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, श्री चन्द्रभूषण पंडित एवं चंदन कुमार महतो।

सरकार की तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

अनुसूची **14**–फार्म संख्या–**563**

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
04.10.2024 **21.10.2024**	प्रस्तुत सेवा अपील वाद शकील अहमद द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक–1263 दिनांक–16.12.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपीलकर्त्ता शकील अहमद, तत्कालीन जनसेवक–सह–लिपिक, जो स्थापना शाखा से संबंधित कार्य देखते थे, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गठित विभागीय कार्यवाही आदेश सं०–222/2023 में **बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (B)** के तहत् संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन/जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अपीलार्थी को दण्ड स्वरूप **शत्–प्रतिशत** देय पेंशन रोकने का दण्ड दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपः– **आरोप सं०–1**–श्री प्रदीप राय, सेवानिवृत्त, पंचायत सचिव द्वारा दिनांक–17.03.2018 एवं 20.03.2018 को सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन दिया गया, लेकिन आरोपी कर्मी श्री शकील अहमद द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया। **आरोप सं०–2**–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा पत्रांक–471 दिनांक–06.03.2020 से संविदा अवधि के मानदेय भुगतान हेतु	

WEB COPY NOT OFFICIAL

₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया, लेकिन श्री प्रदीप राय, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव द्वारा आवेदन देने के बावजूद इनके संविदा मानदेय का भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई आरोपी कर्मी द्वारा नहीं किया गया तथा प्राप्त आवंटन को लैप्स करा दिया गया।

आरोप सं०–3–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक–448/ पं० दिनांक–03.03.2020 द्वारा न्यायालय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा के सेवा अपीलवाद सं०–170/2017 में दिनांक–15.11.2019 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निदेश दिया गया, लेकिन आरोपी कर्मी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

आरोप सं०–4–ग्राम पंचायत राज माधोपुर, बघेजी, नवादा एवं प्रखंड कार्यालय द्वारा No Dues देने के बावजूद आरोपी कर्मी द्वारा श्री प्रदीप राय, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव का पेंशन भुगतान हेतु No Dues प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

आरोप सं०–5–सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2028/2019 में दिनांक– 25.06.2020 को पारित आदेश के अनुसार तीन माह के अंदर सेवानिवृत्त पंचायत सचिव श्री प्रदीप राय का पुनरीक्षित पेंशन/बकाया अंतर वेतन का भुगतान किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोपी कर्मी द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

आरोप सं०–6–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–1165 दिनांक–23.07.2020 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन आरोपी कर्मी द्वारा नहीं किया गया।

आरोप सं०–7–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–1262/पं० दिनांक–13.08.2020 एवं 1310/पं० दिनांक–21.08.2020 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन आरोपी कर्मी द्वारा नहीं किया गया।

आरोप सं०–8–दिनांक–28.10.2020 को लगभग 10:45 बजे पूर्वाहन् में श्री प्रदीप राय, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव से पुनरीक्षित सेवान्त लाभ/बकाया अंतर वेतन भुगतान करने हेतु ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये। पुलिस

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपाधीक्षक–सह–धावादल प्रभारी द्वारा इनके विरूद्ध कांड सं०–23/2020, दिनांक–27.10.2020 निगरानी थाना, पटना में दर्ज कराया गया।

आरोप सं०–9–आरोपी कर्मी शकील अहमद, जनसेवक–सह–प्रभारी स्थापना लिपिक द्वारा कार्यालय में अपनी प्रनिनियुक्ति कराकर रिश्वत लेने के लिए लोगों को परेशान करना, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना, जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश का अवहेलना, गैर जिम्मेवार, लापरवाह, स्वेच्छाचारी एवं रिश्वत के लिए मनमाने ढंग से कार्य करना तथा विभागीय मार्गदर्शिका के विपरीत कृत्य कर रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।

उक्त वर्णित आरोपों के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा की गयी। श्री अहमद के विरूद्ध लगाया गया मुख्य आरोप सरकारी सेवक के रूप में कार्य करने के दौरान सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का परिचय न देते हुए कदाचार में लिप्त रहने का आरोप लगा है। यह आरोप अपने आप में गंभीर प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा में रहते हुए सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु संबंधित व्यक्तियों को गुमराह कर नाजायज ढंग से राशि वसूल किया जाना इनके भ्रष्ट आचरण को इंगित करता है, जो कि सरकारी सेवकों के लिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के तहत् पूर्णत निषेध है।

इस संबंध में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन निम्नवत् हैः–

1. अपीलकर्त्ता प्रखंड कार्यालय, बरौली, जिला गोपालगंज में जनसेवक–सह–स्थापना लिपिक (अब सेवानिवृत्त) के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने बिना किसी आरोप के अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से किया।

2. अचानक अपीलकर्त्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया कि प्रदीप राय, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के सेवान्त लाभ का भुगतान ससमय नहीं किया गया। उक्त आवंटित कार्य लैप्स होने एवं अन्य दूसरे आरोपों को चार्ज–शीट, प्रपत्र–'क' में अंकित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी कर अपीलार्थी के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	3. संचालन पदाधिकारी ने भी अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के आलोक में कारण बताओं नोटिस जारी किया, जिसका अपीलकर्त्ता ने बिन्दुवार, विस्तृत एवं ठोस जबाब प्रस्तुत किया। 4. संचालन पदाधिकारी ने अपना जाँच बिना कोई समुचित साक्ष्य एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित पाया। 5. संचालन पदाधिकारी ने कभी भी कोई साक्ष्य, लगाये गये आरोपों के दस्तावेज और उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज अपीलकर्त्ता को नहीं दिया गया। उनके द्वारा किया गया यह जाँच नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। 6. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया, परन्तु अपीलकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप से कभी भी इसका तामिला नहीं कराया गया, जिससे कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर सकें और जिला पदाधिकारी, गोपालगंज बिना द्वितीय कारण पृच्छा के और माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–25.01.2023 को पारित आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध वृहद् दण्ड दिनांक–14.12.2023 को अपने आदेश ज्ञापांक–1263 दिनांक–16.12.2023 से अधिरोपित कर दिया गया। 7. चूँकि अपीलकर्त्ता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, जो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए इन्होंने समय पर अपील दायर नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में जान–बूझकर देरी नहीं किया गया है। बीमारी से कुछ ठीक होने के बाद इन्होंने विधिक सलाह लेकर जिला पदधिकारी, गोपालगंज द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–1263 दिनांक–16.12.2023 से व्यथित व असंतुष्ट होकर अपील दायर किया है। जिला पदधिकारी, गोपालगंज द्वारा पारित आदेश अवैधानिक, मामलें के तथ्यात्मक पहलू के विरूद्ध और गलत है। 8. चूँकि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का आदेश मामलें के उचित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित नहीं है और कानून के अनुरूप भी नहीं है। साथ ही बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (B) के तहत्	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिया गया दण्ड वृहद् दण्ड की श्रेणी में है और कारण पृच्छा नोटिस का समुचित रूप से तामिला कराये बिना दिया गया है, यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

9. चूँकि पारित किया गया आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-14923/2022 में दिनांक–25.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन किये बिना ही दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं भारतीय संविधान के विरूद्ध है।

10. चूँकि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा "शत–प्रतिशत" पेंशन कटौती का दिया गया दण्ड अवैध, गैर–न्यायोचित और न तो कानून और न ही तथ्यों के आधार पर पोषणीय (Maintainable) है।

11. चूँकि पारित किया गया आदेश गूढ़, अस्पष्ट और मुखर आदेश नहीं है और न ही तार्किक है।

12. चूँकि पारित किया गया आदेश आधारहीन एवं बिना उचित साक्ष्य का है।

13. चूँकि विद्वान जिला पदाधिकारी द्वारा बिना कोई समुचित कारण–पृच्छा और समुचित जाँच के बिना अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

14. चूँकि विद्वान जिला पदाधिकारी को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सेवानिवृत्त कर्मी के विरूद्ध आदेश पारित करना चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मी का पेंशन ही एकमात्र आजीविका का साधन होता है।

15. चूँकि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिनांक–16.12.2023 में पारित आदेश कई अन्य आधारों पर भी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए उक्त आदेश को रद्द (set aside) करते हुए अपीलार्थी को संपूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए तथा अपीलार्थी का संपूर्ण सेवान्त लाभ की राशि की गणना कर भुगतान करने एवं अपीलार्थी के भविष्य के पेंशन राशि का भुगतान ब्याज सहित करने का निदेश सक्षम प्राधिकार को दिया जाए।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विद्वान

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिवक्ता का तर्क सही नहीं है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा आरोपी कर्मी शकील अहमद, तत्कालीन जनसेवक–सह– स्थापना लिपिक, प्रखंड कार्यालय, बरौली, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित पाते हुए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही श्री अहमद के विरूद्व **शत–प्रतिशत देय पेंशन रोकने का दण्ड** दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद से संबंधित अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हो रहे हैं :–

1. अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश दिनांक–14.12.2023 को पारित किया गया है, जबकि इससे लगभग 11 (ग्यारह) माह पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-14923/2022 में दिनांक–25.01.2023 को आदेश पारित करते हुए निम्नांकित आदेश दिया गया –

"It transpires from the petitioner that the petitoner has filed the present writ applications seeking direction for the respondent for payment of retiral dues, who retired from the village level worker from the office of Block Development Officer, Barauli, Gopalganj on 30.04.2021. It appears from Annexure-2 that representation has been filed before the B.D.O (respondent No-3) by the petitioner but till date no decision has been taken in the facts and circumstances the B.D.O Barauli is directed to calculated the entire pensionary benefits of the petitioner which is payable to him and do all the needful so that the payment be made to the petioner in his account within ten weeks from today.

With the aforesaid directions, this writ petition stands disposed of."

2. अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम पारित आदेश में कहीं भी CWJC No-14923/2022 का न तो उल्लेख किया गया है और न ही CWJC No-14923/2022 में अंकित आदेश के अनुपालन की दिशा में कोई निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-14923/2022 शकील अहमद बनाम् बिहार राज्य माध्यम प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

WEB COPY NOT OFFICIAL

	एवं अन्य में दिनांक–25.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में कृत कार्रवाई संबंधी कोई साक्ष्य गोपालगंज जिले से प्राप्त अभिलेख में दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। 4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-14923/2022 में दिनांक–25.01.2023 में पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी को सेवान्त लाभ आदि के भुगतान संबंधी दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, इससे संबंधी कोई साक्ष्य संबंधित अभिलेख में दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। 5. यदि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन दिये गये निर्धारित समय–सीमा के अंदर नहीं किया गया है, तो इस आदेश के विरूद्ध कृत कार्रवाई, यथा–L.P.A आदि दायर किये जाने संबंधी कोई भी साक्ष्य संबंधित अभिलेख में दृष्टिगत नहीं हो रहा है। 6. अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व **बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–139** के अंतर्गत अपीलार्थी को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने बचाव के संबंध में पर्याप्त अवसर दिये जाने का साक्ष्य संबंधित अभिलेख में दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को संबंधित प्राप्त अभिलेख वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी शकील अहमद, तत्कालीन जनसेवक–सह–लिपिक, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही नियमानुसार संचालित करते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक–25.01.2023 के अनुपालन में या उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करना सुनिश्चित करें। इस निदेश (direction) के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करायी जाय। **आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL